

ईश्वरी प्रसाद तनय सुखनंदन ब्राह्मण

निवारी ग्राम गुधोरा तहसील चन्दला

(लोडी) जिला छतरपुर, म.प्र.

.....आवेदक

विलङ्घ

शासन म.प्र.

अनावेदक

श्री कृष्ण कृष्ण
द्वारा आज दि. 10/10/69 को
प्रस्तुत

वेलके ज्ञानक नाम
राजस्व मंडल म.प्र. रवांडेयर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

(24)

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3442-एक / 14

जिला छतरपुर

क्र. नं द्वा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१५.१०.१४	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तार्कों पर विचार किया गया तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 181/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-09-2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया है तथा धारा 52 का आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षेत नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्ट्या यह निगरानी आधारहीन होने से सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है।</p>	
	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	